उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

पं० दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट–ओ0एन0जी0सी0 हेलीपैड, नींबूवाला, गढ़ीकैन्ट, देहरादून।

संख्या– 1638 /2-7-129/2015 दिनांक 31 अगस्त,2015

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड ।

2-उप निदेशक पर्यटन
नैनीताल

3- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
देहरादून ।

4- समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड ।

विषयः-अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 का प्रेषण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश सं0-2127/41-94-41/86 दिनांक-8-8-1994 द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू पेईंग गेस्ट योजना को उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की दिनाक-27-7-2015 को आहूत बोर्ड बैठक में **अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015** पर अनुमोदन होने के पश्चात उक्त पेईंग गेस्ट योजना उत्तराखण्ड राज्य में समाप्त की गयी है ।

अतः अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2016 संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि नियमावली का अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये इसे अपने मण्डल/जनपद में तत्काल लागू करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(डा0 उमाकान्त पंवार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या व दिनाक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि-

1- अपर सचिव पर्यटन को नियमावली की एक प्रति सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2- आयुक्त गढवाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल पौडी/नैनीताल को नियमावली की एक प्रति सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3- विशेष कार्याधिकारी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद नई दिल्ली को नियमावली की एक प्रति सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4- प्रबन्ध निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमांऊ मण्डल विकास निगम देहरादून/नैनीताल को उक्त नियमावली की एक प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रदेश के बाहर जनसम्पर्क कार्यालयों को उक्त नियमावली अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(डा0 उमाकान्त पंवार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अतिथि–उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015

उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे पर्यटक स्थल अवस्थित है, जो कि अपनी नैसर्गिक छटा एवं सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुये हैं, किन्तु उन स्थलों पर पर्यटकों हेतु उचित आवास एवं खान–पान की सुविधा न होने के कारण वे इन पर्यटक स्थलों का आनन्द लेने से वंचित रह जाते है। अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ दूरस्थ पर्यटक क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु, स्तरीय आवासीय सुविधा बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा भवन स्वामियों को अतिरिक्त आय का स्त्रोत उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली तैयार की जा रही है।

अतिथि–उत्तराखण्ड 'गृह आवास (होम स्टे) नियमावली' के शुभारंभ के पीछे मूल विचार विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए एक साफ और किफायती तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्तरीय आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी एक भारतीय परिवार के साथ रहने उनकी संस्कृति का अनुभव व परंपराओं को समझने और भारतीय/उत्तराखण्डी व्यंजनों के स्वाद के लिए एक उत्कृष्ट अवसर मिलेगा।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12 वर्ष 2001) की धारा 7 एवं 8 में प्रदत्त कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करके अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली –2015 के स्थापना हेतु निम्नवत् नियम बनाए जाते है:–

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार/प्रारम्भ एवं आवेदन विनियोग–

(1) क. यह नियमावली, अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली–2015 कहलायेगी।

ख. इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

ग. यह नियमावली ऐसे दिनाँक से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्गत करें।

घ. यह नियमावली अन्य प्रकार की आवासीय सुविधाओं यथा रिसार्ट, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, लॉज पर लागू नहीं होगी।

परिभाषायें

(2) क **अधिनियम** से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम 2001 से अभिप्रेत है।

ख **परिषद** से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद 2001 की धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद से अभिप्रेत है।

ग **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अभिप्रेत है।

घ **आवेदक** से भवन स्वामी जो अतिथियों को अपने भवन के आवासीय कक्षों को पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराने का इच्छुक है से अभिप्रेत है।

ङ. **प्राधिकृत अधिकारी** से जिला पर्यटन विकास अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी से अभिप्रेत है।

च **विदेशी पर्यटक** से भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के निवासी से अभिप्रेत है।

छ **समितियों** से इस नियमावली की धारा 5 के अन्तर्गत गठित जिला पंजीकरण एवं वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समिति तथा परीक्षण समिति से अभिप्रेत है।

ज **अधिष्ठान** से ऐसे आवासीय परिसर जो इस नियमावली के तहत पंजीकृत किये जाने हो, से अभिप्रेत है।

वर्गीकरण

(3) क अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत आवासीय इकाईयों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।

1. सिल्वर
2. गोल्ड

पंजीकरण एवं वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समिति इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति व सुविधाओं का आंकलन, इस नियमावली में परिभाषित सेवा स्तरों के आधार पर करते हुये इकाई को पंजीकरण एवं वर्गीकरण/ पुनर्वर्गीकरण प्रदान करेगी। इकाईयों के सेवा स्तर चयन मानक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु पृथक-पृथक किये जायेंगे।

ख. नियमावली अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयाँ पंजीकरण की तिथि से 02 वर्ष हेतु मान्य होगी। पंजीकरण समाप्ति की तिथि से 03 माह के अन्दर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

ग. नियमावली अन्तर्गत ऐसी इकाईयों के पंजीकरण को प्रमुखता दी जायेगी जो अपनी साज-सज्जा, व्यंजन प्रस्तुतीकरण में विशुद्ध भारतीय/उत्तराखण्डी परम्पराओं को मौलिक रूप में प्रस्तुत करते हों।

घ. शासनादेश सं0- 2127/41-94-41/86 दि0 08.08.1994 द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू पेइंग गेस्ट योजना उत्तराखण्ड में उक्त नियमावली के लागू होने की तिथि से समाप्त समझी जायेगी।

ङ. पेंइग गेस्ट योजना के अन्तर्गत ऐसी पंजीकृत इकाईयां जिनकी वैधता अवधि समाप्त नहीं हुयी है वे अपनी वैधता की अवधि के समाप्त होने के बाद निरस्त समझी जायेंगी।

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 के अन्तर्गत इकाईयों के परिचालन एवं पंजीकरण हेतु यह नियमावली लागू की जा रही है।

आवेदन की प्रक्रिया:– (4)(1) इस नियमावली के अन्तर्गत निजी भवन स्वामी द्वारा **परिशिष्ट–1** पर संलग्न प्रारूप में आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में अथवा ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी जमा कराये जा सकेंगे। विभाग द्वारा एक वर्ष में तीन बार आवेदन प्राप्त किया जायेगा जिसका खुलासा विभागीय वेबसाइट, स्थानीय पर्यटन कार्यालयों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जिले के जिला/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, जोकि प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, के द्वारा प्रस्ताव परीक्षण हेतु परीक्षण समिति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो कि पंजीकरण के लिये परिशिष्ट–2 पर निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार संबंधित इकाई का परीक्षण कर अपनी संस्तुति जिला पंजीकरण एवं वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समिति को प्रस्तुत करेगी। जिला पंजीकरण एवं वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समिति उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से अनुमोदन प्रदान करेगी तथा इकाई द्वारा दी जा रही सुविधाओं के अनुरूप दरों का निर्धारण करेगी।

पंजीयन शुल्क (5) निजी भवन स्वामी इस आवेदन पत्र के साथ "सिल्वर श्रेणी" के अन्तर्गत आवेदन हेतु रू0 2,000/– तथा "गोल्ड श्रेणी" के अन्तर्गत रू0 3,000/– पंजीकरण शुल्क अप्रत्यांपर्णीय (Non-Refundable) **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून** के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करेंगे।

समितियां– (6) क **जिला पंजीकरण एवं वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समिति में निम्न सदस्य होंगे**

1. जिला अधिकारी – अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत – सदस्य
3. स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी – सदस्य
4. जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक – सदस्य
5. संबंधित जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी /क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी – संयोजक/सदस्य

समिति की बैठक हेतु तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है

ख **परीक्षण समिति**

1. स्थानीय निकाय के अधिशासी अधि0/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत – सदस्य
2. उत्तराखण्ड होटल एसोशिऐयन द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
3. संबंधित जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी /क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी – संयोजक/सदस्य

पंजीकरण एवं वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया एवं शर्तें:–

(7) 1. कोई भी भवन स्वामी जो अतिथियों को अपने भवन के आवासीय कक्ष उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक हों, नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु नियुक्त प्राधिकृत प्राधिकारी को वर्णित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा।

2. इस नियमावली के अन्तर्गत ऐसी आवासीय इकाईयों को पंजीकृत किया जायेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों–

अ. आवासीय इकाई पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा भवन स्वामी अपने परिवार सहित उसमें निवास करता हो। इस नियमावली के अन्तर्गत चयन मानकों में स्थानीय वास्तुकला शैली से बने भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

ब. गृह आवास (होम स्टे) में किराये पर उठाये जाने वाले कक्षों की अधिकतम संख्या छः कक्ष तथा न्यूनतम एक कक्ष होगी। प्रत्येक कक्ष में आवश्यकतानुसार दो या दो से अधिक शैय्या का प्राविधान किया जा सकता है।

स. प्रत्येक शयन कक्ष के साथ शौचालय सम्बद्ध होना चाहिए। (शहरी क्षेत्र में अनिवार्य तथा ग्रामीण क्षेत्र में ऐच्छिक) जो कमोड, पर्याप्त जल तथा विद्युत सुविधा वाला, हवादार, प्रकाशयुक्त तथा अन्य आवश्यक उपकरणों तथा फर्नीचर युक्त होना चाहिये।

द. आवासीय इकाई समुचित रूप से साफ–सुथरी, अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों से संरक्षित तथा सुदृढ़ ढंग से निर्मित होनी चाहिये।

य. पार्किंग हेतु इकाई में पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिये। (शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐच्छिक)

र. इकाई के पंजीकरण हेतु परीक्षण समिति द्वारा संस्तुति होनी आवश्यक है साथ ही गृह आवास इकाई पंजीकरण से पूर्व पुलिस सत्यापन होना आवश्यक होगा।

ल. शौचालयों की सफाई व्यवस्था तथा आनाशित कूड़ा–कचरे के उचित निस्तारण का दायित्व गृह स्वामी का होगा।

व. अन्य कोई शर्त जिसे समय–समय पर विहीत किया जाये।

3. प्राधिकृत अधिकारी इस नियमावली के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र अधिकृत परीक्षण समिति को परीक्षण हेतु अग्रसारित करेगा।

4. परीक्षण समिति आवेदित परिसर के निरीक्षण के उपरान्त यदि कोई कमियां हैं तो उन्हें इंगित करेगी। आवदेक को उक्त कमियों का निराकरण उस निश्चित अवधि में करना होगा, जो

समिति द्वारा निर्धारित की जाय। निर्धारित मानकों को पूरा न करने के कारण, समिति के सन्तुष्ट न होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

5. परीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर जिलास्तरीय वर्गीकरण/पंजीकरण समिति सुविधाओं के अनुरूप श्रेणी आवंटित करेगी

6. वर्गीकरण/पंजीकरण समिति द्वारा उच्च श्रेणी प्रदान करने पर अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा तथा उच्च श्रेणी हेतु आवेदित आवेदन के क्रम में समिति द्वारा यदि उसे निम्न श्रेणी हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उच्च श्रेणी हेतु जमा किया गया पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

7. प्राधिकृत अधिकारी पंजीकरण हेतु समस्त कार्यवाही आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिन की समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करायेंगे।

भवन स्वामी पर प्रतिबन्ध

(a) 1. भवन स्वामी होटल की भांति आवास में स्वागत पटल (रिशेप्सन काउन्टर) नहीं लगायेगा तथा घर सामान्य आवास की भांति ही रखेगा।

2. भवन स्वामी किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां यथा–यात्रा पैकेज, ट्रैवेल एजेन्सी, परिवहन सुविधा, हस्त शिल्प अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधि का संचालन इकाई से नहीं करेगा।

3. कोई ऐसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नहीं करेगा जिससे आस–पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।

4. इकाई के विषय में भ्रामक, सूचनायें प्रचलित नहीं करेगा।

5. किसी प्रकार की दलाली में संलिप्त नहीं होगा।

6. निर्धारित आवासीय दरों की सूचना जिला पर्यटन विकास कार्यालय में उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

7. निर्धारित दरों को भवन के उचित स्थल पर प्रदर्शित करना होगा।

8. विदेशी पर्यटकों के आवास की सूचना से भवन स्वामी द्वारा फार्म सी पर सूचना तत्काल स्थानीय थाने पर उपलब्ध करानी होगी।

9. आवास करने वाले पर्यटकों हेतु एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार सूचना अंकित करानी होगी।

प्रारूप

क्र0सं0	नाम	आयु	पता	दूरभाष
1	2	3	4	5

राष्ट्रीयता	आगमन की तिथि एवं समय	प्रस्थान की तिथि एवं समय	कक्ष संख्या	पर्यटकों की संख्या
6	7	8	9	10

पासपोर्ट एवं वीजा संख्या (विदेशी पर्यटको हेतु)	कहाँ से आये	कहाँ जाना है।	उद्देश्य	हस्ताक्षर
11	12	13	14	15

10. गृह आवास में रहने की अधिकतम अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है यदि कोई पर्यटक इस अवधि से अधिक गृह आवास में रहना चाहता है तो इस स्थिति में पुनःपंजीकरण करने हेतु गृह आवास स्वामी की सहमति आवश्यक होगी।
11. आने वाले पर्यटकों की पर्यटक सांख्यकी निम्नलिखित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जिला पर्यटन विकास कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी:-

प्रारूप

इकाई का नाम – माह का नाम–

क्र0सं0	भारतीय	विदेशी	योग
1	2	3	4

अतिथियों का दायित्वः– (9) 1. अतिथि अपने विषय में मांगी गयी समुचित सूचनायें भवन स्वामी द्वारा रखी गयी पंजिका में अनिवार्य रूप से दर्ज करायेगा।

2. आवासीय इकाई में रहने की अवधि में किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि को नहीं करेगा जो प्रशासनिक/सामाजिक व्यवस्था व साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करें। अपना व्यवहार उत्तम रखेगा तथा गृह स्वामी तथा पड़ोसियों की आवासीय गतिविधियों में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।
3. अपनी रसोई अलग नहीं चलायेगा।

4. यदि भवन में उसके जाने–अनजाने से कोई टूट–फूट होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगा।

5. वह भवन को स्वच्छ व साफ–सुथरा रखने में भवन स्वामी की भरसक मदद करेगा।

6. अतिथि अपने से मिलने आने वाले किसी व्यक्ति को इकाई में रात्रि में रूकने देने हेतु दवाब नहीं बनायेगा।

पंजीयन रद्द किया जाना

(10) 1 पंजीकृत इकाईयों के लिये नियमावली के विशिष्ट स्तरों को प्रत्येक समय बनाये रखना अनिवार्य होगा। पंजीकृत इकाईयों का किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जा सकेगा तथा रख–रखाव उचित स्तर का न पाये जाने अथवा पर्यटकों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी समय पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा।

2. यदि भवन स्वामी पर कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो उसका पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. भवन स्वामी द्वारा की गई किसी अनियमितता का पता चलता है तो ऐसे भवन स्वामी को बचाव हेतु उपयुक्त अवसर दिया जायेगा तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर तद्नुसार संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी की संस्तुति पर पंजीकरण एवं वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समिति द्वारा निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4. भवन स्वामी द्वारा इस नियमावली में दी जा रही सुविधा में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना तीस दिन के अन्दर संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी को देना होगा अन्यथा समिति द्वारा पंजीयन समाप्त कर दिया जायेगा।

नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत भवनों को अनुमन्य लाभ

(11) 1. इन इकाईयों का पंजीकरण उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2015 प्राप्त करने वाले भवन स्वामी सराय एक्ट अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार का पंजीकरण प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त होंगे।

2. नियमावली अन्तर्गत चलाई जा रही पंजीकृत इकाईयां पूर्णतः अव्यावसायिक मानी जायेगी।

3. भवन सुख साधन कर से मुक्त होंगी।

4. पंजीकृत इकाई को विभागीय वेवसाइट पर प्रचारित किया जायेगा।

5. निमयावली अन्तर्गत पंजीकृत गृह आवास स्वामियों के क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा करवाया जायेगा।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को समय–समय पर नियमावली एवं शर्तों पर परिवर्तन किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

परिशिष्ट– 1"

अतिथि – उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 में

पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र

1– श्रेणी (जिसके लिये आवेदन किया हो) का नाम :.....

2– उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे)/स्वामी का नाम :.....

3– पिता का नाम

4– पत्र व्यवहार का पता :.....

6– मोबाईल/दूरभाष/फैक्स/ई–मेल संख्या :.....

7– इकाई पर अधिवास कर रहे परिवार के सदस्यों का विवरण :.....

रंगीन फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज

क्र0 सं0	नाम	आवेदक के साथ सम्बन्ध	शैक्षिक योग्यता	व्यवसाय
1	2	3	4	5

9– **अतिथि** – उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 के प्रवर्तन में आने की तारीख (नवीनीकरण की स्थिति में) :.....

10– भवन का विवरण :.....

(क) ग्राम सभा/पंचायत/खण्ड/तहसील/जिले का नाम :.....

(ख) कुल क्षेत्रफल :.....

(योजना, सहयोजन होने और भवन की फोटो संलग्न की जाय)

(ग) भवन/भूमि के स्वामित्व से संबंधित अभिलेख, साझेदारी की स्थिति में शपथ पत्रएवं भवन मानचित्र

(घ) मुख्य सड़क मार्ग से अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) पहुंच दर्शाने वाली योजना की स्थिति

(छ) अन्य उपलब्ध सुविधायें यदि कोई हो (ऐच्छिक)

11– अवस्थिति का विवरण :.....

(क) नजदीकी शहर से दूरी

(ख) नजदीकी रेलवे स्टेशन से दूरी

(ग) नजदीकी एयरपोर्ट से दूरी

(घ) नजदीकी बस स्टैण्ड से दूरी

(ङ) नजदीकी दुकान से दूरी

(च) नजदीकी अस्पताल/डिस्पेंशरी से दूरी

12– नजदीकी पर्यटन स्थल से दूरी (कृपया नजदीकी पर्यटक स्थल के आकर्षण का उल्लेख करें)

13– सुविधाओं का विवरण :.....

(क) पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाले शयन कक्षों की संख्या

क्र0 सं0	कक्ष का आकार	उपलब्ध स्नानगृह/शौचालय की संख्या	प्रत्येक कक्ष में उपलब्ध सुविधाएं	अतिरिक्त सुविधा यदि कोई हो
1	2	3	4	5

(ख) रसोईघर की सुविधा (हाँ / नही)

(ग) बैठक / लॉबी (हाँ / नही)

(घ) अन्य सुविधाएं (कृपया विनिर्दिष्ट करें– अलग शौचालय, यदि आवश्यक है)

14– पंजीकरण संख्या

(यदि पूर्व में अनुमोदित हो तो उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा पूर्व में जारी अनुमोदन के प्रमाण की प्रति संलग्न करें) :.....

15– पंजीकरण हेतु जमा किये जाने वाले शुल्क का विवरण :.....

16–

घोषणा

मैं / हम यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि मैंने उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टेट) नियमावली 2015 के पंजीकरण एवं वर्गीकरण / पुनर्वर्गीकरण हेतु गठित समस्त नियम एवं निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है तथा मैं / हम उक्त सभी नियम एवं निर्देशों का पालन करूंगा / करेंगे। उपरोक्तानुसार दी गई समस्त सूचना वास्तव में मेरे / हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं / हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूं / हैं कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पाई जाती है तो मेरी / हमारी इकाई का पंजीकरण किसी भी समय निरस्त / रोका जा सकता है।

आवेदक का पूरा नाम व पता

स्थान :.....

तारीख :.....

"परिशिष्ट– 2"

अतिथि – उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना के अनुमोदन और पंजीकरण के लिए चेक लिस्ट

क्र0 सं0	विवरण (स्थानीय वास्तुकला शैली से बने भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी)	सिल्वर		गोल्ड		स्थापना के संबंध में प्रमाणन की सुविधायें (हाँ / नहीं)	वर्गीकर समिति : टिप्पणं
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी		
1	अच्छी तरह के उपकरणों से सुसज्जित घर और गेस्ट रूम उच्च गुणवत्ता वाला फर्नीचर, वस्तुएं आदि पारंपरिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुये।	ऐच्छिक	अनिवार्य	एच्छिक	अनिवार्य		
2	सड़क की चौड़ाई के अनुसार पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य		
3	गेस्ट रूम: कम से कम [illegible] कक्ष और अधिकतम 6 कक्षों (12 बिस्तर) हों। ये सभी कमरे. साफ, बिना नमी और साथ ही बाहरी खिड़की / हवादार होनी चाहिये।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
4	प्रत्येक कक्ष के लिये न्यूनतम क्षेत्र वर्ग फिट में।	100	120	100	120		
5	भारतीय डिजाइन के अच्छी किस्म के आराम दायक बिस्तर।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
6	प्रत्येक कक्ष के साथ संलग्न निजी स्नानगृह एवं प्रसाधन सामग्री सहित।	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य		
7	प्रत्येक स्नानगृह का आकार न्यूनतम वर्गफुट में।	30	40	30	40		
8	पाश्चात्य संस्कृति का शौचालय जिसमें सीट और टायलेट रोल सहित।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
9	नल में चलने वाला ठंडा / गरम पानी	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
10	जल बचत नल / शावर सहित	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य		
11	अच्छी रसोई जो साफ–सुथरी हो।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
12	अच्छी गुणवत्ता वाले बर्तन।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य.		

	खाने का स्थान जहाँ पर ताजा या परंपरागत भारतीय/ उत्तराखण्डी खान पान परोसा जाये।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
14	वातानुकूलित कक्ष (भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप)।	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	अनिवार्य		
15	प्रेस (इस्त्री) तथा प्रेस बोर्ड माँग के अनुसार	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य		
16	इन्टरनेट कनेक्शन।	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	अनिवार्य		
17	अतिथि गृह जिसमें 15 ऐम्पीयर धारिता का साकेट हो।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
18	कक्ष में टेलीफोन कनेक्शन के विस्तार की सुविधा।	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य		
19	कपड़े की अलमारी, दराज व 4 कपड़ों को टाँगने के लिये हैंगर की सुविधाओं के साथ।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
20	एक्वागार्ड/ आर०ओ० संयत्र के साथ पेयजल की निःशुल्क सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
21	कक्ष में अच्छी किस्म की कुर्सी, मेज और अन्य जरूरी फर्नीचर।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
22	लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग की सुविधा।	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक		
23	गर्म या ठंडा करने के संयत्र कमरों में उपलब्ध।	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य		
24	कूड़ा-कचरा फेंकने वाली सुविधायें म्युनिसिपल कानून के अनुसार।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
25	डॉक्टर को आवश्यकतानुसार बुलाने की सुविधा।	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक		
26	कमरे में कीमती सामान रखने के लिये तिजोरी/ लॉकर की सुविधा।	ऐच्छिक	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		
27	यात्री के आने-जाने का रजिस्टर में विवरण। विदेशी पर्यटकों के लिये उनके पासपोर्ट आदि का विवरण।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य		

Income detail

Comp.Income

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,

पं0दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,

निकट–ओ0एन0जी0सी0 हेलीपैड, गढी कैन्ट, देहरादून

दूरभाष–0135–2559898 / 2559900 / 2559987 / फैक्स–2559986

संख्या–UPTI/2–7–129/2016 दिनांक 25 फरवरी,2016

अतिथि– उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015(प्रथम संशोधन नियमावली 2016)

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001 दिनांक 28.11.2001) की धारा 7 एवं 8 में प्रदत्त कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करके अतिथि–उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015(प्रथम संशोधन नियमावली 2016) को अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित निम्नवत् नियम बनाए जाते है:–

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार/प्रारम्भ एवं आवेदन विनियोग–

(1) क. यह नियमावली, अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली–2015 (प्रथम संशोधन नियमावली 2016) कहलायेगी।

ख. इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

ग. यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

घ. यह नियमावली अन्य प्रकार की आवासीय सुविधाओं यथा रिसार्ट, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, लॉज पर लागू नहीं होगी।

परिभाषायें

(2) क. **अधिनियम** से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम 2001 से अभिप्रेत है।

ख. **परिषद** से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद 2001 की धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद सेअभिप्रेत है।

ग. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अभिप्रेत है।

घ. **आवेदक** का तात्पर्य ऐसे भवन स्वामी से है, जो अतिथियों को अपने भवन के आवासीय कक्षों को पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराने का इच्छुक है एवं इस नियमावली के अन्तर्गत अपने भवन को पंजीकरण हेतु परिषद् में आवेदन करता है।

ड. **विदेशी पर्यटक** से तात्पर्य भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के निवासी से है।

च. **समिति** से इस नियमावली की धारा–4 के अन्तर्गत गठित जिला पंजीकरण एवं परीक्षण समिति से अभिप्रेत है।

छ. **अधिष्ठान** से तातपर्य ऐसे आवासीय परिसर जो इस नियमावली के तहत पंजीकृत किये जाने हो, से है।

वर्गीकरण

(3)क. अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत आवासीय इकाईयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।

1. गोल्ड
2. सिल्वर
3. ब्रॉन्ज

अधिष्ठान द्वारा प्रस्तुत की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति व सुविधाओं का आंकलन, इस नियमावली में परिभाषित सेवा स्तरों के आधार पर करते हुये समिति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में इकाईयोंका पंजीकरण किया जायेगा।

ख. नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयाँ पंजीकरण की तिथि से 02 वर्ष हेतु मान्य होगी। पंजीकरण समाप्ति की तिथि से 03 माह के अन्दर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

ग. नियमावली के अन्तर्गत ऐसी इकाईयों के पंजीकरण को प्रमुखता दी जायेगी जो साज–सज्जा, व्यंजन प्रस्तुतीकरण में विशुद्ध उत्तराखण्डी परम्पराओं को मौलिक रूप में प्रस्तुत करती हों।

घ. शासनादेश सं0– 2127/41–94–41/86 दि0 08.08.1994 द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू पेइंग गेस्ट योजना उत्तराखण्ड में उक्त नियमावली के लागू होने की तिथि से समाप्त समझी जायेगी, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत ऐसी पंजीकृत इकाईयां जिनकी वैधता अवधि समाप्त नहीं हुयी है वे अपनी वैधता की अवधि के समाप्त होने पर निरस्त समझी जायेंगी।

ङ. ऐसे इच्छुक भवन स्वामी जोकि वर्तमान में पेइंग गेस्ट योजना के अन्तर्गत पंजीकृत है, के द्वारा पेइंग गेस्ट योजना की पंजीकरण वैधता की समाप्ति के बाद इस योजना के अन्तर्गत आवेदन किया जा सकेगा।

अतिथि– उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015(प्रथम संशोधन नियमावली 2016) के अन्तर्गत इकाईयों के परिचालन एवं पंजीकरण हेतु यह नियमावली लागू की जा रही है।

आवेदन की प्रक्रिया

(4)

(1) इस नियमावली के अन्तर्गत निजी भवन स्वामी द्वारा **परिशिष्ट–1** पर संलग्न प्रारूप में आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में अथवा ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी जमा कराये जा सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ जिला प्रशासन द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पूर्व का ना हो सहित ही **परिशिष्ट–3** पर उल्लिखित प्रमाण–पत्र को भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जिले के जिला/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, द्वारा इकाई का परीक्षण कर नियमावली के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में पंजीकरण की कार्यवाही परिशिष्ट–2 पर इंगित चैकलिस्ट में उल्लिखित सुविधाओं/मानकों के आधार पर किया जायेगा।

पंजीयन शुल्क

(3) किसी भी श्रेणी में पंजीकरण हेतु निजी भवन स्वामी द्वारा इस योजना हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के साथ रू0 500.00 (रू0 पांच सौ मात्र) पंजीयन शुल्क अप्रत्यापर्णीय (Non-Refundable) **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून** के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना होगा।

समिति

(4) **जिला पंजीकरण एवं परीक्षण समिति** में सम्बन्धित जनपद के क्षेत्रीय/जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं अधिष्ठान के समीपस्थ गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह के प्रबन्धक सदस्य के रूप में होंगे।परीक्षण एवं पंजीकरण की समस्त कार्यवाही इसी समिति द्वारा की जायेगी। समिती द्वारा अधिष्ठान का भौतिक सत्यापन एवं आवेदक द्वारा संलग्न जिला प्रशासन स्तर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण करने के उपरान्त जिस श्रेणी में अधिष्ठान का पंजीकरण किया जाना हो उस पर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

पंजीकरण हेतु प्रक्रिया एवं शर्तें

(5) 1. कोई भी भवन स्वामी जो अतिथियों को अपने भवन के आवासीय कक्ष उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक हों, नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु सम्बन्धित जनपद के क्षेत्रीय/जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में वर्णित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा।

2. इस नियमावली के अन्तर्गत ऐसी आवासीय इकाईयों को पंजीकृत किया जायेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों–

अ. आवासीय इकाई पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा भवन स्वामी अपने परिवार सहित उसमें निवास करता हो।

ब. गृह आवास (होम स्टे) में किराये पर उठाये जाने वाले कक्षों की अधिकतम संख्या छः कक्ष तथा न्यूनतम एक कक्ष होगी। प्रत्येक कक्ष में आवश्यकतानुसार दो या दो से अधिक परन्तु किसी भी दशा में चार शैय्या से अधिक न हो, का प्राविधान किया जा सकता है।

स. प्रत्येक अधिष्ठान में शौचालय अनिवार्य रुप से, जो परिशिष्ट 2 में इंगित चेक लिस्ट में निर्धारित मानकों के अनुरुप तथा पर्याप्त जल, विद्युत सुविधा हवादार प्रकाशयुक्त तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से युक्त हो होना चाहिये।

द. आवासीय इकाई समुचित रूप से साफ–सुथरी, अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों से संरक्षित तथा सुदृढ़ ढंग से निर्मित होनी चाहिये।

य. पार्किंग हेतु इकाई में पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिये। (शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐच्छिक)

र. इकाई के पंजीकरण हेतु शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक होगा।

ल. शौचालयों की सफाई व्यवस्था तथा आनाशित कूड़ा–कचरे के उचित निस्तारण का दायित्व गृह स्वामी का होगा।

व. अन्य कोई शर्त जिसे समय–समय पर विहित किया जाये।

3. समिति आवेदित परिसर के निरीक्षण के उपरान्त, यदि कोई कमियां हैं तो, उन्हें इंगित करेगी। आवेदक को उक्त कमियों का निराकरण उस निश्चित अवधि में करना होगा, जोसमिति द्वारा निर्धारित की जाय। निर्धारित मानकों को पूरा न करने के कारण, समिति के सन्तुष्ट न होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

4. समिति चैकलिस्ट में उल्लिखित मानकों के आधार पर अधिष्ठान को श्रेणी आवंटित करेगी

5. क्षेत्रीय/जिला पर्यटन विकास अधिकारी पंजीकरण हेतु समस्त कार्यवाही आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिन की समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करायेंगे।

भवन स्वामी पर प्रतिबन्ध (8) 1. भवन स्वामी होटल की भांति आवास में स्वागत पटल (रिसेप्शन काउन्टर) नहीं लगायेगा तथा घर सामान्य आवास की भांति ही रखेगा।

2. भवन स्वामी कोई ऐसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नहीं करेगा जिससे आस–पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।

3. इकाई के विषय में भ्रामक, सूचनायें प्रचलित नहीं करेगा।

4. किसी प्रकार की दलाली में संलिप्त नहीं होगा।

5. निर्धारित आवासीय दरों की सूचना जिला पर्यटन विकास कार्यालय में उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

6. निर्धारित दरों को भवन के उचित स्थल पर प्रदर्शित करना होगा।

7. विदेशी पर्यटकों के आवास की सूचना से भवन स्वामी द्वारा फार्म "सी" पर, तत्काल शहरी क्षेत्रों में जोकि पुलिस के नियंत्रणाधीन हों की दशा में स्थानीय थाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रहरी/पटवारी/राजस्व पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।
8. आवास करने वाले पर्यटकों हेतु एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार सूचना अंकित करानी होगी।

प्रारूप

9.

क्र0सं0	नाम	आयु	पता व दूरभाष	पहचान पत्र का प्रकार व कमांक
1	2	3	4	5

राष्ट्रीयता	आगमन की तिथि एवं समय	प्रस्थान की तिथि एवं समय	कक्ष संख्या	पर्यटकों की संख्या
6	7	8	9	10

पासपोर्ट एवं वीजा संख्या (विदेशी पर्यटको हेतु)	कहॉ से आये	कहॉ जाना है।	उद्देश्य	हस्ताक्षर
11	12	13	14	15

गृह आवास में रहने की अधिकतम अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है यदि कोई पर्यटक इस अवधि से अधिक गृह आवास में रहना चाहता है तो इस स्थिति में पुनःपंजीकरण करने हेतु गृह आवास स्वामी की सहमति आवश्यक होगी।

10. आने वाले पर्यटकों की पर्यटक सांख्यकी निम्नलिखित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जिला पर्यटन विकास कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी:-

प्रारूप

इकाई का नाम – **माह का नाम–**

क्र0सं0	**भारतीय**	**विदेशी**	**योग**
1	2	3	4

अतिथियों का दायित्वः–

(7) 1. अतिथि द्वारा भवन स्वामी को परिचय प्रमाण–पत्र (आईडेन्टीफिकेशन सर्टिफिकेट) यथा पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पेन कार्ड, आदि जोकि समय–समय पर शासन द्वारा परिचय प्रमाण–पत्र की श्रेणी में मान्य हों की छायाप्रति उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

2. अतिथि अपने विषय में मांगी गयी समुचित सूचनायें भवन स्वामी द्वारा रखी गयी पंजिका में अनिवार्य रूप से दर्ज करायेगा।

3. आवासीय इकाई में रहने की अवधि में किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि को नहीं करेगा जो प्रशासनिक/सामाजिक व्यवस्था व साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करें। अपना व्यवहार उत्तम रखेगा तथा गृह स्वामी तथा पड़ोसियों की आवासीय गतिविधियों में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।

4. अपनी रसोई अलग नहीं चलायेगा।

5. यदि भवन में उसके जाने–अनजाने से कोई टूट–फूट होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगा।

6. वह भवन को स्वच्छ व साफ–सुथरा रखने में भवन स्वामी की भरसक मदद करेगा।

7. अतिथि अपने से मिलने आने वाले किसी व्यक्ति को इकाई में रात्रि में नही रूकवायेगा।

8. स्थानीय संस्कृति का पूर्ण समादर करेगा।

पंजीयन रद्द किया जाना

(8) 1. पंजीकृत इकाईयों के लिये नियमावली के विशिष्ट स्तरों को प्रत्येक समय बनाये रखना अनिवार्य होगा। पंजीकृत इकाईयों का किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा तथा रख–रखाव उचित स्तर का न पाये जाने अथवा पर्यटकों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी समय पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा।

2. यदि भवन स्वामी पर कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो उसका पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. यदि भवन स्वामी द्वारा की गई किसी अनियमितता का पता चलता है तो ऐसे भवन स्वामी को बचाव हेतु उपयुक्त अवसर दिया जायेगा तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर तद्नुसार संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

4. यदि भवन स्वामी द्वारा इस नियमावली में दी जा रही सुविधा में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना तीस दिन के अन्दर संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी को देना होगा अन्यथा समिति द्वारा पंजीयन समाप्त कर दिया जायेगा।

नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत भवनों को अनुमन्य लाभ

(9) 1. उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2016 से इकाइयों का पंजीकरण प्राप्त करने वाले भवन स्वामी सराय एक्ट अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार का पंजीकरण प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त होंगे।

2. इस नियमावली के अन्तर्गत चलाई जा रही पंजीकृत इकाईयां पूर्णतः अव्यावसायिक मानी जायेगी।

3. पंजीकृत इकाई को पर्यटन की विभागीय वेवसाइट पर प्रचारित किया जायेगा।

4. नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत गृह आवास स्वामियों का क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा करवाया जायेगा।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् को समय–समय पर नियमावली एवं शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

नोट–पर्यटन विभाग द्वारा इस योजना को अव्यवसायिक घोषित किया गया है जिस के लिए विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से अव्यवसायिक/घरेलू दरें लागू किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है परन्तु इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत अधिष्ठानों में अधिरोपित विभिन्न प्रकार के करों एवं देयकों को घरेलू दरों पर वसूले जाने हेतू सम्बन्धित विभाग के स्तर से शासनादेश जारी किये जाने की दशा में ही अव्यवसायिक दरें लागू होंगी।

(शैलेश बगौली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

परिशिष्ट– 1"

अतिथि– उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015(प्रथम संशोधन नियमावली 2016)

पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र

1– श्रेणी (जिसके लिये आवेदन किया हो) का नाम :.....

2– उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे)/स्वामी का नाम :.....

3– पिता/पति का नाम

4– पत्र व्यवहार का पता :.....

5– मोबाईल/दूरभाष/फैक्स/ई–मेल संख्या :.....

रंगीन फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज

6– क–इकाई पर अधिवास कर रहे परिवार के सदस्यों का विवरण :.....

क्र0 सं0	नाम	आवेदक के साथ सम्बन्ध	आयु	शैक्षिक योग्यता	व्यवसाय
1	2	3	4	5	6

ख–यदि इकाई में किरायेदार अधिवासित हो तो उसके परिवार के सदस्यों का विवरण।

क्र0 सं0	किरायेदार (मुखिया)/परिवार के सदस्यों का नाम	मुखिया के साथ सम्बन्ध	आयु	शैक्षिक योग्यता	व्यवसाय
1	2	3	4	5	6

7– **अतिथि** –उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2016 के प्रवर्तन में आने की तारीख (नवीनीकरण की स्थिति में) :.....

8– भवन का विवरण :.....

(क) ग्राम सभा/पंचायत/खण्ड/तहसील/जिले का नाम :.....

(ख) कुल क्षेत्रफल :.....

(भवन की फोटो संलग्न की जाय)

(ग) भवन/भूमि के स्वामित्व से संबंधित अभिलेख, साझेदारी की स्थिति में शपथ पत्र एवं भवन मानचित्र

(च) मुख्य सड़क मार्ग से अतिथिउत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) तक पहुंच दर्शाने वाली योजना की स्थिति।

(छ) अन्य उपलब्ध सुविधायें यदि कोई हो (ऐच्छिक)

9– अवस्थिति का विवरण :.....

(क) नजदीकी शहर से दूरी

(ख) नजदीकी रेलवे स्टेशन से दूरी

(ग) नजदीकी एयरपोर्ट से दूरी

(घ) नजदीकी बस स्टैण्ड से दूरी

(ङ) नजदीकी दुकान से दूरी

(च) नजदीकी अस्पताल/डिस्पेंसरी से दूरी

10– नजदीकी पर्यटन स्थल से दूरी (कृपया नजदीकी पर्यटक स्थल के आकर्षण का संक्षिप्त उल्लेख करें)

11– सुविधाओं का विवरण :.....

(क) पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाले शयन कक्षों की संख्या----------

क्र0 सं0	कक्ष का आकार	उपलब्ध स्नानगृह/ शौचालय की संख्या	प्रत्येक कक्ष में उपलब्ध सुविधाएं	अतिरिक्त सुविधा यदि कोई हो
1	2	3	4	5

(ख) रसोईघर की सुविधा (हाँ/ नहीं)

(ग) बैठक/लॉबी (हाँ/नहीं)

(घ) अन्य सुविधाएं (कृपया विनिर्दिष्ट करें– अलग शौचालय, यदि आवश्यक है)

12– पंजीकरण संख्या

(यदि पूर्व में अनुमोदित हो तो उत्तराखण्ड पयर्टन विकास परिषद् द्वारा पूर्व में जारी अनुमोदन के प्रमाण की प्रति संलग्न करें) :.....

13– पंजीकरण हेतु जमा किये जाने वाले शुल्क का विवरण :.....

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टेट) नियमावली 2016 के पंजीकरण हेतु गठित समस्त नियम एवं निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम उक्त सभी नियम एवं निर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे। उपरोक्तानुसार दी गई समस्त सूचना वास्तव में मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं। मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूं/हैं कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पाई जाती है तो मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण किसी भी समय निरस्त/रोका जा सकता है।

आवेदक का पूरा नाम व पता

स्थान :.....

दिनांक :.....

"परिशिष्ट– 2"

अतिथि– उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015(प्रथम संशोधन नियमावली 2016) के अनुमोदन और पंजीकरण के लिए चैक लिस्ट

क्र0 सं0	विवरण (स्थानीय वास्तुकला शैली से बने भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी)	शहरी क्षेत्र			ग्रामीण क्षेत्र			समिति की टिप्पणी
		गोल्ड	सिल्वर	ब्रान्ज	गोल्ड	सिल्वर	ब्रान्ज	
1	अच्छी तरह के उपकरणों से सुसज्जित घर और गेस्ट रूम उच्च गुणवत्ता वाला फर्नीचर, वस्तुएं आदि पारंपरिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुये।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
2	सड़क की चौड़ाई के अनुसार पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
3	इकाई में कम से कम एक कक्ष एवं अधिकतम छः कक्षों में 2 से अधिकतम 24 शैय्याये होगीं। ये सभी कमरे साफ, बिना नमी और साथ ही बाहरी खिड़की/ हवादार होनी चाहिये।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
4	प्रत्येक कक्ष के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल वर्ग फिट में।	120	120	100	100	100	80	
5	भारतीय डिजाइन के अच्छी किस्म के आराम दायक बिस्तर।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
6	प्रत्येक अधिष्ठान में (क) स्नानगृह एवं प्रसाधन सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
	(ख) प्रत्येक कक्ष के साथ संलग्न स्नानगृह एवं प्रसाधन सुविधा सहित।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
7	प्रत्येक स्नानगृह का आकार न्यूनतम वर्गफुट में।	40	40	30	40	30	20	
8	पाश्चात्य शैली का शौचालय जिसमें सीट और टायलेट रोल सहित।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
9	नल में चलने वाला ठंडा/गरम पानी	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
10	जल बचत नल/ शावर सहित	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
11	अच्छी रसोई जो साफ–सुथरी हो।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	

12	अच्छी गुणवत्ता वाले बर्तन।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
13	खाने का स्थान जहाँ पर ताजा या परंपरागत भारतीय/ उत्तराखण्डी खान पान परोसा जाये।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
14	वातानुकूलित कक्ष (भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप)	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
15	प्रेस (इस्त्री) तथा प्रेस बोर्ड माँग के अनुसार	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
16	इन्टरनेट कनेक्शन।	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
17	अतिथि गृह जिसमें 15 ऐम्पीयर धारिता का साकेट हो।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
18	कक्ष में टेलीफोन कनेक्शन के विस्तार की सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
19	कपड़े की अलमारी, दराज व 4 कपड़ों को टाँगने के लिये हैंगर की सुविधाओं के साथ।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
20	एक्वागार्ड/ आर0ओ0 संयत्र के साथ पेयजल की निःशुल्क सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
21	कक्ष में अच्छी किस्म की कुर्सी, मेज और अन्य जरूरी फर्नीचर।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
22	लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग की सुविधा।	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
23	गर्म या ठंडा करने के संयत्र कमरों में उपलब्ध।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
24	कूड़ा–कचरा फेंकने वाली सुविधायें म्युनिसिपल कानून के अनुसार।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
25	डॉक्टर को आवश्यकतानुसार बुलाने की सुविधा।	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
26	कमरे में कीमती सामान रखने के लिये तिजोरी/ लॉकर की सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
27	यात्री के आने–जाने का रजिस्टर में विवरण। विदेशी पर्यटकों के लिये उनके पासपोर्ट आदि का विवरण।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	

"परिशिष्ट–3"

विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....निवासी.....(पता)
जिसके द्वारा अतिथि–उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली–2016 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवदेन किया गया है, के पंजीकरण में इस विकास प्राधिकारण/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

दिनांक.....
स्थान.....

नाम व हस्ताक्षर
सचिव/अधिशासी अधिकारी/ग्राम प्रधान
विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत
(सील)

नोट–प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो कि विकास प्राधिकरण व स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत दोनो के ही अन्तर्गत आते हों, की दशा में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पं0दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड, नीबूवाला गढ़ीकैन्ट, देहरादून।
दूरभाष–01352559898/2559900/2559987/फैक्स–2559988

संख्या- 456/2-7-129/2017

देहरादून,दिनांक 9 मार्च,2017

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) नियमावली (द्वितीय संशोधन 2017)

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम,2001(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0-12/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001 दिनांक 28-11-2001) की धारा 7 एवं 8 मे प्रदत्त कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करके अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) नियमावली2015 (द्वितीय संशोधन 2017) को अग्रेत्तर संशोधन करते हुये पूर्व नियमावली दिनांक 25-2-2016 (प्रथम संशोधन) के परिशिष्ट-3 पर उल्लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर संलग्न नवीन परिशिष्ट-3 पर उल्लिखित शपथ पत्र जो कि स्वप्रमाणित पत्र है को रू0 100.00 के नॉन-जुडिशियल स्टॉप पेपर पर भर कर संलग्न किया जाना होगा। शेष नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

(शैलेश बगौली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

परिशिष्ट-3

शपथ-पत्र

(सौ रूपये के नॉन-जूडिशियल पेपर पर)

समक्ष:- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद.....।

मैं/हम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी..... घोषणा करता हूँ/करती हूँ करते हैं कि:-

1- यह कि मेरा/हमारा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है ।

2- यह कि मैं/हम अपने आवासीय भवन स्थित (पता).....मैं स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अवस्थित अतिरिक्त कक्षों.....(कक्षों की संख्या) को अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक हैं ।

3- यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा/हमारा स्वयं का है जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगड़ा विवाद नही है ।

4- यह कि मेरे/हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नही है अथवा भवन प्राधिकरण/स्थानीय निकाय के गठन से पूर्व का निर्मित है,जिस कारण मानचित्र नही है/स्वीकृत नही है ।भवन हैरिटैज दृष्टि से पर्यटकों हेतु उपयोगी है ।

उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं/हम इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी/होंगे । ऐसी स्थिति में मेरा/हमारा इस योजनान्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा ।

5- यह कि मेरे /हमारे द्वारा आवेदित उत्तराखण्ड गृह आवास(होम स्टे) नियमावली 2015 (प्रथम संशोधन नियमावली-2016) तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में किये गये प्रावधानों/नियमों/उप नियमों/शर्तों को भली भांति पढ़ लिया गया है,जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से बाध्य होऊंगा/होऊंगी/होंगे ।

-घोषणा-

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नही गया है, यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाय तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी । ऐसी स्थिति में मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नही होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

आज दिनाक.....को मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कबूल करता हूँ/करती हूँ/करते हैं ।

नाम तथा हस्ताक्षर शपथकर्ता

जिला पर्यटन विकास अधिकारी

उत्तराखण्डपर्यटनविकासपरिषद्

निकट- ओ0एन0जी0सी0हैलीपैड
गढ़ीकैन्ट,देहरादून-248001
दूरभाष2559898-0135-फैक्स2559988-

संख्या:4889/2-7-129 (निय0)/2019 देहरादूनः दिनांकः 31 ,जनवरी,2020

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, अधिनियम-2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम स0 12) /विधायी एवं संसदीय कार्य/2001 दिनांक 28.11.2001) की धारा 7 एवं 8 में प्रदत्त कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की दिनांक 19.09.2019 को सम्पन्न हुई 19वीं बोर्ड में प्राप्त अनुमोदन के फलस्वरूप "अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) नियमावली-2015 को अग्रेत्तर संशोधन करने लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

1- संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः-

(अ) यह नियमावली अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) नियमावली-2015 (तृतीय संशोधन नियमावली- 2019) कहीं जायेगी।

(ब) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिभाषायेः-	परिभाषायेः- (2) ज-**विहित प्राधिकारी** से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद से जिला पर्यटन विकास अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारीअथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी से अभिप्रेत है। झ-**अपीलीय अधिकारी** से सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी से अभिप्रेत है।
वर्गीकरणः- (3)ग- नियमावली के अन्तर्गत ऐसी इकाईयो के पंजीकरण को प्रमुखता दी जायेगी जो साज-सज्जा, व्यंजन प्रस्तुतीकरण में विशुद्व उत्तराखण्डी परम्पराओं को मौलिक रूप में प्रस्तुत करता हों ।	वर्गीकरणः- (3) ग- लोप किया गया ।
आवेदन प्रक्रिया (4)-(1) इस नियमावली के अन्तर्गत निजी भवन स्वामी द्वारा परिशिष्ट-1पर संलग्न प्रारूप में आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में अथवा ऑनलाईन पंजीकरण हेतु विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी जमा कराये जा सकेंगे । आवेदन पत्र के साथ जिला प्रशासन द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 06माह से अधिक पूर्व का न हो सहित ही परिशिष्ट-3पर उल्लिखित प्रमाण पत्र को भी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।	आवेदन प्रक्रिया (4)-(1) इस नियमावली के अन्तर्गत निजी भवन स्वामी द्वारा परिशिष्ट-1 पर संलग्न प्रारूप में आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में अथवा ऑनलाईन पंजीकरण हेतु विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी जमा कराये जा सकेंगे । परिशिष्ट-3 यथा संशोधित संलग्न

पंजीकरण हेतु प्रक्रिया एंव शर्तें	पंजीकरण हेतु प्रक्रिया एंव शर्तें
(5)–1 कोई भी भवन स्वामी अतिथियों को अपने भवन के आवासीय कक्ष उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक हो, तो नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु सम्बन्धित जनपद के क्षेत्रीय/ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में वर्णित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकेगा ।	(5)–1 कोई भी भवन स्वामी अथवा यदि भवन/ सम्पति संयुक्त रूप से दर्ज है तो ऐसी दशा में आवेदक अन्य हिस्सेदारों से शपथ पत्र द्वारा अनापत्ति प्राप्त कर अतिथियों को अपने भवन के आवासीय कक्ष उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक हो तो नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु सम्बन्धित जनपद के क्षेत्रीय/ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में वर्णित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकेगा अथवा आवश्यक शुल्क के साथ विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करेगा।
य– पार्किंग हेतु इकाई में पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिये। (शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐच्छिक)	य–पार्किंग हेतु इकाई में पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिये ।पर्याप्त पार्किंग का तात्पर्य है कि यदि होम स्टे में एक कक्ष है तो दो कारों के लिये न्यूनतम पार्किंग होनी चाहिये प्रत्येक अतिरिक्त कक्ष हेतु एक अतिरिक्त कार पार्किंग के लिये स्थान होना चाहिये। उदाहराणार्थ 3 कक्षों के लिये 3 कारों की पार्किंग होनी चाहिये ।
र– इकाई के पंजीकरण हेतु शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण /स्थानीय निकाय एंव ग्रमीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक होगा ।	र– इकाई के पंजीकरण हेतु परिशिष्ट–3 पर उल्लिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ल:–भवन स्वामी द्वारा होम–स्टे संचालन से पूर्व राज्य में होम–स्टे का पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा एवं पंजीयन प्रमाण–पत्र स्पष्ठ दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
	पंजीयन रद्द किया जाना एवं अपील:– (8)–2– यदि भवन स्वामी उपरोक्त बिन्दु 4(1) में उल्लिखित किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसका पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा ।
	(10)–पंजीकरण में व्यतिक्रम के लिए शास्ति 1–इस नियमावली के अधीन उचित पंजीकरण के बिना या इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में गृह आवास (होमस्टे) व्यवसाय से सम्बन्धित कोई व्यक्ति, दस हजार रूपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा। परन्तु यदि उल्लंघन जारी रहता हो तो, पांच सौ रूपए प्रतिदिन, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, के जुर्माने से विहित प्राधिकारी द्वारा दण्डनीय किया जायेगा। 2–परन्तु यदि उल्लंघन जारी रहता है तो विहित प्राधिकारी इसकी सूचना निकटतम् पुलिस स्टेशन को दे सकेगा।

	(11) प्रमाण–पत्र का बिना अनुज्ञा के समनुदेशित न किया जाना 1–कोई व्यक्ति जो, विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना इस नियमावली के अधीन जारी किए गए पंजीकरण के प्रमाण–पत्र को उधार देता है हस्तान्तरित या समनुदेशित करता है, तो वह दस हजार रूपए के जुर्माने से विहित प्राधिकारी द्वारा दण्डनीय होगा।
	(12)–अपील और पुनरीक्षण 1–उपनियम 10–11 के उपबन्धों के अध्यधीन, इस नियमावली के अधीन विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अपील, अपीलीय प्राधिकारी को होगी। 2– प्रत्येक ऐसी अपील, आदेश की सूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। परन्तु अपील प्राधिकारी, उक्त साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने से युक्ति–युक्त कारणों द्वारा निवारित हुआ था।
	(13)–शास्तियों की वसूली इस नियमावली की धारा 10 (1) व 11 (1) के अधीन की गयी शास्तियों का भुगतान न किये जाने की दशा मे इसकी वसूली भू–राजस्व अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वसूली की जा सकेगी।

(दिलीप जावलकर)
मुख्य कार्यकारीअधिकारी।

पृ0प0सं0 4889 (1)/समदिनांकित,2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, गढवाल मण्डल/ कुमायूँ मण्डल, पौडी/नैनीताल।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5– आदेश पंजिका ।

(विवेक सिंह चौहान)
संयुक्त निदेशक पर्यटन ।

परिशिष्ट-3

शपथ-पत्र

(सौ रूपये के नॉन-जूडिशियल पेपर पर)

समक्षः- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद.....।

मैं/हम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी..... घोषणा करता हूँ/करती हूँ करते हैं किः-

1- यह कि मेरा/हमारा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।

2- यह कि मैं/हम अपने आवासीय भवन स्थित (पता).....मैं स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अवस्थित अतिरिक्त कक्षों.....(कक्षों की संख्या) को अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण करने के इच्छुक हैं।

3- यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा/हमारा स्वयं का है जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगड़ा विवाद नही है।

4- यह कि मेरे/हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नही है अथवा भवन प्राधिकरण/स्थानीय निकायों के गठन से पूर्व का निर्मित है,जिस कारण मानचित्र नही है/स्वीकृत नही है। भवन हैरिटैज दृष्टि से पर्यटकों हेतु उपयोगी है।

उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं/हम इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होऊगा/होऊगी/होंगे। ऐसी स्थिति में मेरा/हमारा इस योजनान्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।

5- यह कि मेरे/हमारे द्वारा अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास(होम स्टे) नियमावली-2015 (प्रथम संशोधन नियमावली-2016) तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में किये गये प्राविधानो/नियमों/उप नियमों/शर्तों को भली भांति पढ लिया गया है, जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से बाधय होऊगां/होऊगी/होंगें।

-घोषणा-

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नही गया है, यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाय तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। ऐसी स्थिति में मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे/हमें कोई आपति नही होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

आज दिनांक.....को मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कबूल करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।

नाम तथा हस्ताक्षर शपथकर्ता

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पं० दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन
निकट– ओ०एन०जी०सी हेलीपैड, गढी कैन्ट, देहरादून।
दूरभाष–0135–2559898, फैक्स–2559988

संख्या : 5289/2–7–129/2022 देहरादून, दिनांक : 15/–3/2022

–:कार्यालय आदेश:–

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, अधिनियम–2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12)/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001 दिनांक 28.11.2001) की धारा 7 एवं 8 में प्रदत्त कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की दिनांक 19.09.2019 को सम्पन्न हुयी 19वीं बोर्ड बैठक में प्राप्त अनुमोदन के फलस्वरूप "अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होमस्टे) नियमावली–2015 (प्रथम संशोधन नियमावली 2016)" को अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1– संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ:–

(अ) यह नियमावली अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होमस्टे) नियमावली–2015 (चतुर्थ संशोधन नियमावली–2022) कही जायेगी।

(ब) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

बिन्दु	स्तम्भ–1 विद्यमान श्रेणी	स्तम्भ–2 प्रस्तावित संशोधन
वर्गीकरण (3)क.	(3)क. अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होमस्टे) नियमावली के अन्तर्गत आवासीय इकाईयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:– 1. गोल्ड 2. सिल्वर 3. ब्रॉन्ज़ अधिष्ठान द्वारा प्रस्तुत की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति व सुविधाओं का आंकलन, इस नियमावली में परिभाषित सेवा स्तरों के आधार पर करते हुये समिति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में इकाईयों का पंजीकरण किया जायेगा।	(3)क. अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होमस्टे) नियमावली के अन्तर्गत आवासीय इकाईयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:– क्र०सं० / श्रेणी / अधिमान अंक 1. / डायमण्ड / 75-100% 2. / गोल्ड / 65-74% 3. / सिल्वर / 50-64% अधिष्ठान द्वारा प्रस्तुत की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति व सुविधाओं का आंकलन उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा होमस्टे इकाईयों की रेटिंग हेतु तैयार पैरामीटर के अनुसार श्रेणियों में पंजीकृत किया जायेगा।

(दिलीप जावलकर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

पृ०प०सं० 5289/(1)समदिनांकित, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– आदेश पंजिका।

15.3.22
(पूनम चंद)
अपर निदेशक पर्यटन।